



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA



केंका.विसविवि.पीसीडी.सं.एस725/04-09-001/2022-23

11 अगस्त 2022

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक,
विदेशी बैंक (20 से अधिक शाखाएं), लघु वित्त बैंक,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक]

महोदया / महोदय,

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - गैर-कॉर्पोरेट किसानों के लिए लक्ष्य - वित्त वर्ष 2022-23

कृपया गैर-कॉर्पोरेट किसानों को उधार देने के लक्ष्य के संबंध में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार, 2020 पर जारी मास्टर निदेश के पैरा 5.3 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2022-23 हेतु गैर-कॉर्पोरेट किसानों के लिए पीएसएल लक्ष्य एएनबीसी/सीईओबीई, जो भी अधिक हो, का 13.78% होगा। इसके अतिरिक्त, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे कृषि ऋण (पैरा 8.1 के अनुसार) को एनसीएफ लक्ष्य से अधिक बढ़ाने हेतु सभी प्रयास करें।

भवदीया,

(नवजोत कौर)

उप महाप्रबंधक

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई -400001

Financial Inclusion & Development Dept., Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai-1

टेली Tel:022-22601000 फेक्स: 91-22-22621011/22610943/22610948 ई-मेल: cgmincfidd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

"चेतावनी : रिज़र्व बैंक आपको डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।"